निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**26 कार्तिक 1933 (श0)**

**(सं0 पटना 665) पटना, वृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011**

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

8 जून 2011

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–8–01/2010/665—श्री गिरीश चन्द्र साफी, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के विरुद्ध बाढ़ 2010 के पूर्व कराये जाने वाले कटाव निरोधक कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना 4/2009–10 में ग्रुप सं0 6, 7, 8 एवं 12 से संबंधित निविदा कार्यो के वित्तीय बीड में की गई अनियमितता की जॉच मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर द्वारा की गई जिसमें प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री साफी को अधिसूचना सं0 527, दिनांक 29 मार्च 2010 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प, ज्ञापांक 602, दिनांक 07 अप्रील 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि श्री साफी के विरुद्ध जो वित्तीय बीड से छेड़–छाड़ करने का आरोप था उसके संबंध में पाया गया कि बीड शीट में छेड़–छाड़ हुई है। साथ ही श्री साफी द्वारा वित्तीय बीड को लेखा लिपिक के कस्टडी में छोड़ा जाना प्रशासनिक गलती माना गया जिसके लिए कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार हैं।

अतः उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री साफी को निलंबन से मुक्त करते हुये निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है–

1. निन्दन (वर्ष 2009–2010 के लिए)
2. दो वेतन–वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह–भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, पर निलंबन अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

तद्नुसार उक्त निर्णय श्री साफी को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 665-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**